

प्रेस नोट दिनांक 19.07.2026

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 मनीष यादव व कां0 प्रद्युम्न यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, वाद सं0 627/26 मु0अ0सं0 89/2024 धारा 4/5 विस्फोटक अधि० से संबंधित 01 अभियुक्त 1.महाबल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिटकहा पूरे खुशई चौकी मोहनगंज थाना को० देहात प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत मोहनगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.महाबल सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सिटकहा पूरे खुशई चौकी मोहनगंज थाना को० देहात प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह कां0 मनीष यादव व कां0 प्रद्युम्न यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की सख्त कार्यवाही: थाना जेठवारा पुलिस ने चोरी व जानलेवा हमला करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा चोरी व हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त राधेश्याम पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डेय को क्षेत्रान्तर्गत महियामऊ नहर के किनारे तांत्रिक चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी महियामऊ पंडित का पूरा, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 22.05.2026 की रात्रि हरिशंकर पाण्डेय पुत्र कल्लन पाण्डेय द्वारा फोन कर उनके पुत्र को गांव के समीप तालाब पर बुलाया गया, जहां नामजद अभियुक्तों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियारों से जान से मारने की नीयत से हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिससे दाहिनी आंख सहित शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। वादिनी ने यह भी आरोप लगाया कि अभियुक्तों द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा उनके पुत्र का मोबाइल फोन भी ले लिया गया। इस संबंध में थाना जेठवारा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वारिज कसेरा मय हमराह हे0का0

सन्तराज सरोज, रि0का0 अभिषेक गुप्ता द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 128/26 धारा 190/191(2)/191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1)/118(2)/303(2) BNS व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)Vक SC/ST Act थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त राधेश्याम पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डेय पुत्र स्व0 चंद्रमा प्रसाद पाण्डेय उर्फ कल्लन उम्र करीब 32 वर्ष नि0 महियामभ पण्डित का पूरा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत महियामऊ नहर के किनारे तांत्रिक चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राधेश्याम पाण्डेय उर्फ सूरज पाण्डेय पुत्र स्व0 चंद्रमा प्रसाद पाण्डेय उर्फ कल्लन उम्र करीब 32 वर्ष नि0 महियामभ पण्डित का पूरा थाना जेठवारा जनपद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 वारिज कसेरा मय हमराह हे0का0 सन्तराज सरोज, रि0का0 अभिषेक गुप्ता थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का0 पंकज यादव व का0 मनोज कुमार द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0नं0- 1701557/2009 राज्य बनाम राम बाबू पटेल अ0सं0 333/2005 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त रामबाबू पटेल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रामबुदल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. रामबाबू पटेल उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र रामबुदल निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम -

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह का0 पंकज यादव व का0 मनोज कुमार थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर पुलिस की कार्यवाही : सोशल मीडिया में वायरल प्रकरण में एक और वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस बरामदा

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा दिनांक 19.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 168/26 धारा 74/79/115(2)/3(5)/76 BNS एवं बढोत्तरी धारा 3/25 आर्म्स के प्रकरण में चौपई पुल के पास से वांछित अभियुक्त इंतजार अली उर्फ जिशान पुत्र अशफाक अहमद निवासी घोर का मुफरीद मजरा नजियापुर, थाना दिलीपपुर,

जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामद मोबाइल एवं अवैध शस्त्र बरामद होने के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में इससे पूर्व अभियुक्त सूरज गौड़ पुत्र रविशंकर गौड़ निवासी घोर का मुफरीद, थाना दिलीपपुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

बरामदगी-

1- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इंतजार अली उर्फ जिशान पुत्र अशफाक अहमद, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी घोर का मुफरीद मजरा नजियापुर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमिल कुमार मय हमराह उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, हे0का0 आनन्द तिवारी, का0 राजेश यादव, म0का0 प्रियंका यादव, का0 आशीष कुमार थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन, छेड़छाड़ व धमकी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा धर्म संपरिवर्तन, छेड़छाड़ व धमकी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त सलमान गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

वादिनी निवासी ग्राम उदईशाहपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा आरोप लगाया गया कि दिनांक 15.07.2026 को घर में अकेली होने के दौरान आरोपी उसके घर में घुस आया तथा उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हुए हाथ पकड़कर कपड़े फाड़ दिए। परिजनों के आने पर अभियुक्त मौके से भाग गया। अभियुक्त लगातार फोन/व्हाट्सएप के माध्यम से परेशान कर धर्म परिवर्तन व शादी का दबाव बनाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 192/26 धारा 76/333/352/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 जयकिशुन यादव, का0 नीरज पटेल व म0आ0 गीतांजली बाजपेई द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 192/26 धारा 76/333/352/351(3) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1.सलमान पुत्र अजीज राइन निवासी ग्राम उदईशाहपुर

थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोपा अमरगढ़ रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. सलमान पुत्र अजीज राइन निवासी ग्राम उदईशाहपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह उ0नि0 जयकिशुन यादव, का0 नीरज पटेल व म0आ0 गीतांजली बाजपेई थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत पचखरा गाँव के पास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

प्रार्थिनी वादिनी ने आरोप लगाया कि दिनांक 18.07.2026 की शाम को पचखरा गाँव में पुरानी रंजिश के चलते आरोपी अमरपाल, अमरनाथ और विपिन ने एकराय होकर प्रार्थिनी के पति वंशीलाल और पुत्र शिवम पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में थाना सांगीपुर पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/131/110/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय टीम द्वारा वांछित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में भ्रमणशील थे। मुखबिर की सूचना पर पचखरा गाँव के पास से 02 वांछित अभियुक्तों 1.अमरनाथ कोरी पुत्र स्व0 रामकिशुन उम्र करीब 62 वर्ष, 2.विपिन कोरी पुत्र अमरनाथ कोरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (कुल्हाड़ी व लाठी-डंडा) भी बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.अमरनाथ कोरी पुत्र स्व0 रामकिशुन उम्र करीब 62 वर्ष,
- 2.विपिन कोरी पुत्र अमरनाथ कोरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासीगण पचखरा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह का0 प्रदीप कुशवाहा, का0 अमित कुमार यादव व रि0का0 अनन्त मिश्रा, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।